फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

कान्हा उर्फ खाना पिता [illegible] मीणा नि. देवपुरा

बनाम

लाडूराम पिता [illegible] मीणा नि. संतोषनगर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 [illegible]. आर. ए.   मुकदमा नं. 1098/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16.11.21	प्रार्थना पत्र प्रशासन गॉवों [illegible] अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने [illegible] अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कि मेरे पिता जी के खाते की भूमि ग्राम देवपुरा प. ह. रावतखेडा तहसील जह[illegible] में स्थित आ. न. 127/2 रकबा 4. 00 बीघा, आ. न. 127/9 रकबा 2.11 बीघा कुल किता 02 रकबा 06.11 बीघा स्थित है। उक[illegible] कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। परन्तु उक्त पडोसीगण को [illegible] बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन हंकाई, बुवाई, [illegible] के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अत[illegible]गढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी [illegible] शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अ[illegible] सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। [illegible] के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 तक [illegible] से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की [illegible]सियान के विवाद करने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम देवपु[illegible] रावतखेडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 127/2 रक[illegible] बीघा, आ. न. 127/9 रकबा 2. 11 बीघा कुल किता 02 र[illegible]11 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू[illegible] निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। क[illegible] 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, [illegible]00 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार ज[illegible] लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिना[illegible].11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (signature) उपखण्ड अधि[illegible] जहाजपुर(भील[illegible])	

Scanned with CamScanner